मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 551] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 12 अक्टूबर 2010—आश्विन 20, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 अक्टूबर 2010

क्र. (17) बी-1-21-2009-2-पांच.—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (घ) तथा (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश देशी स्पिरिट नियम, 1995 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 4 में, उप नियम (13) में, शब्द "सीलिंग चार्ज" के स्थान पर, शब्द "निर्गम मूल्य" स्थापित किए जाएं.

2. नियम 5 में, उप नियम (3) में, खण्ड (क) में, शब्द "सीलिंग चार्ज" के स्थान पर, शब्द "निर्गम मूल्य" स्थापित किए जाएं.

3. प्ररूप सी.एस.-2 में, शर्त क्रमांक 6 के स्थान पर, निम्नलिखित शर्त स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"6. अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ताओं से, अच्छी हालत में खाली बोतलें, ऐसी दर पर क्रय करेगा जैसी कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जाए. वह देशी स्पिरिट के उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त ऐसे निर्गम मूल्य का, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत किया जाए, संदाय करेगा. वह बोतल के मूल्य सहित निर्गम मूल्य के मद्धे उसके द्वारा बोतल भरने वाले ठेकेदार को संदत्त की गई दर से अधिक राशि उपभोक्ता से प्रभारित नहीं करेगा. वह अपनी दुकान के सामने हिन्दी में लिखा हुआ दुकान का नाम, विक्रय की दर, निर्गम मूल्य (कांच की बोतल) तथा वह दर जिस पर 750, 375 तथा 180 मिली लीटर की कांच की खाली बोतलें पुनः क्रय की जाएंगी, दर्शाने वाला साइन बोर्ड लगाएगा.".

4. प्ररूप सी.एस.-2-क में, शर्त क्रमांक 5 के स्थान पर, निम्नलिखि शर्त स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"5. अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ताओं से, आबकारी विभाग के लिये विशेष रूप से तैयार की गई खाली बोतलें अच्छी हालत में ऐसी दर पर, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जाए, क्रय करेगा तथा उन्हें बोतल भरने वाले ठेकेदारों को भाण्डागार पर पुनः उपयोग हेतु वापिस करेगा. वह देशी स्पिरिट के उत्पाद शुल्क

के अतिरिक्त ऐसे निर्गम मूल्य का, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत किया जाए, संदाय करेगा. वह बोतल के मूल्य सहित निर्गम मूल्य के मद्धे उसके द्वारा बोतल भरने वाले ठेकेदार को संदत्त की गई दरों से अधिक राशि उपभोक्ताओं से प्रभारित नहीं करेगा. वह अपनी दुकान के सामने हिन्दी में लिखा हुआ दुकान का नाम, विक्रय की दर, निर्गम मूल्य (कांच की बोतल) तथा वह दर जिस पर 750, 375 तथा 180 मिली लीटर की कांच की खाली बोतलें पुन: क्रय की जाएंगी, दर्शाने वाला साइन बोर्ड लगाएगा.".

5. प्ररूप सी.एस.-2-ख में, शर्त क्रमांक 6 के स्थान पर, निम्नलिखित शर्त स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"6. अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ताओं से, खाली बोतलें, अच्छी हालत में ऐसी दर पर क्रय करेगा जैसी कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जाए. वह देशी स्पिरिट के उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त ऐसे निर्गम मूल्य का, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत किया जाए, संदाय करेगा. वह बोतल के मूल्य सहित प्रदाय दर, के मद्धे उसके द्वारा बोतल भरने वाले ठेकेदार को संदत्त की गई दर से अधिक राशि उपभोक्ता से प्रभारित नहीं करेगा. वह अपनी दुकान के सामने हिन्दी में लिखा हुआ दुकान का नाम, विक्रय की दर, प्रदाय दर, (कांच की बोतल) तथा वह दर जिस पर 750, 375 तथा 180 मिली लीटर की कांच की खाली बोतलें पुन: क्रय की जाएंगी, दर्शाने वाला साइन बोर्ड लगाएगा.".

6. प्ररूप सी.एस.-3 में शर्त क्रमांक 5 के स्थान पर, निम्नलिखित शर्त स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"5. अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ताओं से, आबकारी विभाग के लिये विशेष रूप से तैयार की गई खाली बोतलें अच्छी हालत में ऐसी दर पर, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जाए, क्रय करेगा तथा उन्हें बोतल भरने वाले ठेकेदारों को भाण्डागार पर पुन: उपयोग हेतु वापिस करेगा. वह देशी स्पिरिट के उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त ऐसे निर्गम मूल्य का, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत किया जाए, संदाय करेगा, वह बोतल के मूल्य सहित निर्गम मूल्य के मद्धे उसके द्वारा बोतल भरने वाले ठेकेदार को संदत्त की गई दरों से अधिक राशि उपभोक्ताओं से प्रभारित नहीं करेगा. वह अपनी दुकान के सामने हिन्दी में लिखा हुआ दुकान का नाम, विक्रय की दर, निर्गम मूल्य (कांच की बोतल) तथा वह दर जिस पर 750, 375 तथा 180 मिली लीटर की कांच की खाली बोतलें पुन: क्रय की जाएंगी, दर्शाने वाला साइन बोर्ड लगाएगा.".

7. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2006 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 12 अक्टूबर 2010

क्र. (17) बी-1-21-2009-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. (17) बी-1-21-2009-2-पांच, दिनांक 12 अक्टूबर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 12th October 2010

No. (17) F-B-1-21-2009-2-V.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (d) and (h) of sub-section (2) of Section 62 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Country Spirit Rules, 1995, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In rule 4, in sub-rule (13), for the words "sealing charges", the words "issue price" shall be substituted.

2. In rule 5, in sub-rule (3), in clause (a), for the words "sealing charges", the words "issue price" shall be substituted.

3. In Form C.S.-2, for condition no. 6, the following condition shall be substituted, namely :—

"6. The licensee shall purchase from consumers empty bottles in sound condition at such rates, as may be fixed from the time to time by the State Government. He shall pay, in addition to the excise duty of country spirit, such issue price, as may be fixed from time to time by the State Government. He shall not charge from the consumer, on account of issue price, including the cost of the bottle, more than the rate paid by him to the bottling contractor. He shall affix in front of his shop a sign-board painted in Hindi showing the name of the shop, the selling rates, the issue price (glass-bottles) and the rates at which the empty glass-bottles of 750, 375 and 180 millilitres, shall be repurchased.".

4. In Form C.S.-2-A, for condition no. 5, the following condition shall be substituted, namely :—

"5. The licensee shall purchase from consumers empty bottles in sound condition, Specially prepared for the Excise Department, at such rates, as may be fixed from time to time by the State Government and return them to the bottling contractor at the warehouse for recycling. He shall pay, in addition to the excise duty of count spirit, such issue price, as may be fixed from time to time by the State Government. He shall not charge from the consumer, on account of issue price, including the cost of the bottle, more than the rate paid by him to the bottling contractor. He shall affix in front of his shop a sign-board painted in Hindi showing the name of the shop, the selling rates, issue price (for glass-bottles) and the rates at which the empty glass-bottles of 750, 375 and 180 millilitres, shall be repurchased.".

5. In Form C.S.-2-B, for condition no. 6, the following condition shall be substituted, namely :—

"6. The licensee shall purchase from consumers empty bottles in sound condition at such rates, as may be fixed from time to time by the State Government. He shall pay, in addition to the excise duty of country spirit, such issue price, as may be fixed from time to time by the State Government. He shall not charge from the consumer, on account of issue price, including the cost of the bottle, more than the rate paid by him to the bottling contractor. He shall affix in front of his shop a sign-board painted in Hindi showing the name of the shop, the selling rates, the issue price (glass-bottles) and the rates at which the empty glass-bottles of 750, 375 and 180 millilitres shall be repurchased.".

6. In Form C.S.-3, for condition no. 5, the following condition shall be substituted, namely :—

"5. The licensee shall purchase from consumers empty bottles in sound condition, Specially prepared for the Excise Department at such rates, as may be fixed from time to time by the State Government and return them to the bottling contractor at the warehouse for recycling. He shall pay, in addition to the excise duty of country spirit, such issue price, as may be fixed from time to time by the State Government. He shall not charge from the consumer, on account of issue price, including the cost of the bottle, more than the rate paid by him to the bottling contractor. He shall affix in front of his shop a sign-board painted in Hindi showing the name of the shop, the selling rates, the issue price (glass-bottles) and the rates at which the empty glass-bottles of 750, 375 and 180 millilitres, shall be repurchased.".

7. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 1st April, 2006.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.